250

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

त्रि.ग.-2554-I-16

मोहन पिता छोटेलाल चढ़ार,

निवासी ग्राम हरदौट, तह. व जिला सागर .....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनोवदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमाँक 791/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दि. 19–07–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायलय श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अपनी ग्राम हरदौट भूमि ख.नं. 62/4 रकवा 0.80हे0 जो कि उसे म.प्र. शासन से पूर्व में पट्टे पर प्रदान की गयी थी, में से मात्र 0.40 हे0 भूमि का विक्रय कर उसी ग्राम की भूमि ख.नं. 80/6 रकवा 0.40हे0 भूमि क्रय करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार के समक्ष जांच कर प्रतिवेदन प्रसतुत करने हेतु आदेशित किया एवं प्रकरण तहसीलदार के प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार महोदय ने दिनांक 07.10.2014 को अपना प्रतिवेदन भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को तलब कर प्रकरण में सुनवाई उपरांत मात्र आवेदक का आवेदन दिनांक 05.05.2015 को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त विक्रय वाली भूमि शामिल शरीक दर्ज है जिस पर सह खातेदारों द्वारा अपनी सहमति नहीं दी है। उक्त आदेश से परिवेदित होकर प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2554. I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्वत उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर प्र.क्र. 791/अ—21/2014—15 में पारित आदेश दि. 19—07—2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि भूमि ख.नं. 62/4 रकवा 0.80 हे0 जो कि उसे म.प्र. शासन से पूर्व में पट्टे पर प्रदान की गयी थी, में से मात्र 0.40 हे0 भूमि का विक्रय कर उसी ग्राम की भूमि ख.नं. 80/6 रकवा 0.40हे0 भूमि क्रय करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार के समक्ष जांच कर प्रतिवेदन प्रसतुत करने हेतु आदेशित किया एवं प्रकरण तहसीलदार के प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार महोदय ने दिनांक 07.10.2014 को अपना प्रतिवेदन भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को तलब कर प्रकरण में सुनवाई उपरांत मात्र आवेदक का आवेदन दि05.05.15 को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त विक्रय वाली भूमि शामिल शरीक दर्ज है जिस पर सह खातेदारों द्वारा अपनी सहमति नहीं दी है। इस कारण उन्होंने प्रश्नाधीन अनुमति प्रदान करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से इस कारण	

[क्र. प. उ.

निग० 2554-पी/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	इंकार किया है कि सहखातेदार कमलाबाई द्वारा भूमि विक्रय की सहमति प्रदान नहीं की गई है न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में उचित है परंतु प्रस्तुत निगरानी के साथ सहखातेदार कमला बाई द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु शपथपत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अपनी सहमति तथा जितनी भूमि विक्रय हेतु अनुमति चाही है उतनी ही भूमि क्रय किए जाने का उल्लेख किया है जिसके कारण आवेदक को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम हरदौट में स्थित भूमि खसरा नं. 62/4, रकवा 0.80हे0 में से 0.40हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ कि कम से कम उतनी भूमि आवेदक क्रय करेगा एवं दोनों का पंजीयन एक साथ होगा के आधार पर विक्रय की अनुमति दी जाती है। विक्रय—विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं—उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	